केन्द्रीय रजिस्ट्रेशन प्रणाली (Centralized Registration System) के अंतर्गत ठेकेदारों के पंजीयन हेतु प्रक्रिया

म.प्र.शासन के समस्त कार्य विभागों हेतु केन्द्रीय रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू है जिसमें पंजीकृत ठेकेदार किसी भी विभाग में निर्माण कार्य संपादित कर सकते है। इस प्रणाली के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों तथा शर्तों की जानकारी निम्नानुसार हैः-

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया- नवीन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के पूर्व ठेकेदार के पास Digital Signature (Class-3) होना आवश्यक है। नवीन रजिस्ट्रेशन हेतु लोक निर्माण विभाग की वेबसाईट में 'New Registation Link' में जाकर निर्धारित पोर्टल शुल्क रूपये 500 आनलाईन जमा करने पर उसका यूजर अकाउंट क्रिएट होगा जिसका आई-डी एवं पासवर्ड इन्द्राज किये गये मोबाईल तथा ई-मेल में प्राप्त होगा। इसके उपरांत विभागीय वेबसाईट के रजिस्ट्रेशन मोड्यूल के अंतर्गत 'Form Filling/ Fees Deposite Link' में जाकर निर्धारित दस्तावेज (दस्तावेज सूची अनुसार) संलग्न करने के उपरांत डिजीटल सिग्नेचर कर फार्म भरें। फार्म भरने के उपरांत अधिकतम 3 कार्य दिवस के भीतर प्राईमरी अनुमोदन का मेसेज इन्द्राज किये गये मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगा। मेसेज प्राप्त होने पर ठेकेदार द्वारा 'Form Filling/ Fees Deposite Link' में प्राप्त आई-डी एवं पासवर्ड को इन्द्राज कर निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क रूपये 25,000 आनलाईन माध्यम से जमा करेगा। फीस जमा करने के उपरांत 3 कार्य दिवस के भीतर आनलाईन माध्यम से रजिस्ट्रेशन सर्टिफीकेट डाउनलोड हो जावेगा तथा विभागीय वेबसाईट में ठेकेदार का नाम पंजीकृत ठेकेदार के रूप में प्रदर्शित होने लगेगा।

रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची तथा फार्मेट-

सोल/सेल्फ प्रोप्राईटर हेतु-

1. पेन कार्ड की स्केन कॉपी (200 KB)

2. जी.एस.टी. सर्टिफीकेट (एनेक्सर-ए एवं बी सहित) (200 KB)

3. स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र (सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफीकेट) जो कि फार्म फिलिंग के दौरान डाउनलोड करने पर प्राप्त होगा। इसे हस्ताक्षरित कर अपलोड करना है। (200 KB)

4. चीफ इलेक्ट्रीकल इंस्पेक्टर एवं मुख्य अभियंता विद्‌युत सुरक्षा म.प्र.शासन, सतपुड़ा भवन भोपाल द्‌वारा जारी फर्म के नाम से जारी इलेक्ट्रीकल कॉनट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (यदि ठेकेदार 'विद्‌युत श्रेणी' अथवा 'सिविल व विद्‌युत श्रेणी' में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है) (200 KB)

पार्टनरशीप फर्म हेतु-

1. पेन कार्ड (फर्म का एवं सभी पार्टनरर्स के एक ही पी.डी.एफ. में) की स्केन कॉपी (200 KB)

2. फर्म का जी.एस.टी. सर्टिफीकेट (एनेक्सर-ए एवं बी सहित) (200 KB)

3. स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र (सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफीकेट) जो कि फार्म फिलींग के दौरान डाउनलोड करने पर प्राप्त होगा। इसे सभी पार्टनर के द्‌वारा हस्ताक्षरित कर अपलोड करना है। (200 KB)

4. फर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफीकेट (200 KB)

5. फर्म पार्टनरशिप डीड (700 KB)

6. चीफ इलेक्ट्रीकल इंस्पेक्टर एवं मुख्य अभियंता विद्युत सुरक्षा म.प्र.शासन, सतपुड़ा भवन भोपाल द्वारा फर्म के नाम से अथवा उसके किसी पार्टनर के नाम से जारी इलेक्ट्रीकल कॉनट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (यदि ठेकेदार 'विद्युत श्रेणी' अथवा 'सिविल व विद्युत श्रेणी' में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है) (200 KB)

कंपनी हेतु-

1. पेन कार्ड (कंपनी का एवं सभी डायरेक्टर्स के एक ही पी.डी.एफ. में) की स्केन कॉपी (200 KB)

2. कंपनी का जी.एस.टी. सर्टिफीकेट (एनेक्सर-ए एवं बी सहित) (200 KB)

3. स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र (सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफीकेट) जो कि फार्म फिलींग के दौरान डाउनलोड करने पर प्राप्त होगा। इसे सभी डायरेक्टर्स के द्वारा हस्ताक्षरित कर अपलोड करना है। (200 KB)

4. सर्टिफीकेट ऑफ इनकोरपोरेशन, मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसीएशन के पृष्ठ जिसमें कंपनी का नाम दर्ज हो तथा पृष्ठ जिसमें डायरेक्टर्स का नाम दर्ज हो (700 KB)

5. चीफ इलेक्ट्रीकल इंस्पेक्टर एवं मुख्य अभियंता विद्युत सुरक्षा म.प्र.शासन, सतपुड़ा भवन भोपाल द्वारा कंपनी के नाम से अथवा उसके किसी डायरेक्टर के नाम से जारी इलेक्ट्रीकल कॉनट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (यदि ठेकेदार 'विद्युत श्रेणी' अथवा 'सिविल व विद्युत श्रेणी' में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है) (200 KB)

टीप-

1. फार्म फिलिंग के दौरान कंपनी के केस में इन्द्राज किये गये डायरेक्टर्स के नाम तथा मेमोरेन्डम ऑफ एसोसीएशन में उल्लेखित डायरेक्टर्स एक समान होने चाहिए।

2. पेन कार्ड में अंकित नम्बर एवं नाम फार्म फिलिंग के दौरान इन्द्राज किया गया नम्बर एवं नाम एक समान होना चाहिए।

3. जी.एस.टी. सर्टिफिकेट में अंकित नाम एवं नम्बर तथा कंपनी का सर्टिफिकेट एवं कंपनी के केस में नम्बर एवं डायरेक्टर का विवरण संबंधित विभागों की वेबसाईट्स से सत्यापित किया जावेगा।

मुख्य अभियंता

पंजीयन